राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022

चर्चा में क्यों?

23 मार्च, 2022 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने इस विधेयक को चर्चा के लिये सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के दौरान विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के बारे में बताया गया।
- संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिये अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि वर्तमान में नगरपालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा की सीधी भर्ती के पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन गठित राज्यस्तरीय आयोग द्वारा किया जाता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-rajasthan-municipalities-amendment-bill-2022